राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो 14–15/2013 जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट 2014–15 के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.07.13, 08.11.13 एवं 05.12.13**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्रों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं श्रम बजट 2014–15 के निर्माण के संबन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसमें स्पष्टतः वर्णित किया गया है कि ग्राम पंचायतवार श्रम बजट, योजना की वैबसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जावे। विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश जिलों में अभी तक श्रम बजट की ग्राम पंचायतवार एन्ट्री प्रारम्भ नहीं की गयी है जिसके कारण राज्य का समेकित श्रम बजट ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाना संभव नहीं है।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देश दिए जाते है कि ग्राम पंचायतवार श्रम बजट योजना की वैब साईट पर एम.आई.एस. के तहत दिनांक 07.01.2014 तक आवश्यक रूप से अपलोड किया जावे ताकि राज्य का समेकित (Consolidated) श्रम बजट केन्द्र सरकार को समय पर प्रेषित किया जा सके। श्रम बजट की एम.आई.एस. स्थिति योजना की वैबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध रिपोर्ट से मॉनीटर की जा सकती है। ग्राम पंचायतवार श्रम बजट बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि श्रम बजट का आंकलन वास्तविक स्थिति तथा वर्ष 2013–14 की वास्तविक उपलब्धियों के अनुरूप हो।

भवदीय

(सिद्वार्थ महाजन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस